भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3589
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों हेतु सुरक्षा प्रशिक्षण

3589. श्री नवीन जिंदल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मछुआरों को सुरक्षा और समुद्री सीमा से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण देने अथवा जागरूक बनाने की योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पड़ोसी देशों के साथ लगी समुद्री सीमाओं को पार करने के कारण बार-बार गिरफ्तार किए जाने वाले मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) की स्थापना की है, जो मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और समुद्र में जाने वाले फिशिंग वेसेल्स पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मैनपावर तैयार करता है। संस्थान का मुख्याल कोच्चि में है और चेन्नई और विशाखापत्तनम में दो और इकाइयाँ हैं। आउटरीच/इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मछुआरों के लिए समुद्र में सुरक्षा, नाविक कौशल और नेविगेशन, जिम्मेदार मत्स्यन और समुद्र में नेविगेशन और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि पर विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

(ग) और (घ): भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और पड़ोसी देश के साथ मछुआरों के मुद्दों को उच्चतम स्तर पर उठाती रही है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने वेस्सल कम्यूनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोलआउट के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत 364 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी है जिसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक लाख फिशिंग वेसेल्स पर ट्रांसपोंडर लगाने का कार्य शामिल है । फिशिंग वेसल्स में ट्रांसपोंडर 100% सरकारी सहायता से लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपोंडर में जियो-फेंसिंग विशेषताएं हैं और यह मछुआरों को समुद्री सीमा के पास पहुंचने या उसे पार करने पर अलर्ट देता है ताकि समुद्री सीमा पार करने की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

भारत सरकार ने राजनयिक माध्यमों से किए गए प्रयासों के अलावा मात्स्यिकी क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने और मछुआरों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भारत-बांग्लादेश और भारत-श्रीलंका जैसे द्विपक्षीय जाइंट वर्किंग ग्रुप्स (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की है। इसके अलावा, तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभाग भारतीय तटरक्षक बल के साथ समन्वय कर रहे हैं और नियमित रूप से मछुआरों के साथ कम्यूनिटी इंटेरैकशन प्रोग्राम्स (सीआईपी) आयोजित कर रहे हैं, ताकि उन्हें समुद्र में जीवन की सुरक्षा, जीवन रक्षक उपकरणों को साथ ले जाने, पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेटों के उपयोग के महत्व के बारे में बताया जा सके और समुद्री सीमा पार न करने के लिए भी प्रेरित किया जा सके।

*****